आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 193/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता बालदेव राय, पिता–खोखा राय, ग्राम–अहमदपुर, थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
09	65	01 कट्ठा	उत्तर–जिखर राम दक्षिण–गीदर राम पूरब–नीज पश्चिम–वीतन राम

मौजा–अहमदपुर, थाना नं०–91, थाना–करपी, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं भूदान यज्ञ–दान पत्र के आलोक में वर्णित भूमि की जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। भूदाता के तरफ से वाद में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा दाता का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, करपी ने जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उल्लेखित किया है कि थाना संख्या–91 अंचल करपी से संबंधित नही है उक्त थाना संख्या–91 अरवल अंचल से संबंधित है। अंचल अधिकारी, अरवल से दान पत्र में वर्णित भूमि की जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, अरवल ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा–ताजपुर विशुनपुर, हल्का–अबगीला, थाना–अरवल, थाना संख्या–91, अंचल–अरवल से संबंधित है। वर्त्तमान वर्णित भूमि पर दखल कब्जाधारी को न्यायाल से नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई। दखल कब्जाधारी का कहना है कि भूदान यज्ञ–दान पत्र में वर्णित भूमि से हमें कोई सरोकार नहीं है, और ना ही मेरा उक्त भूमि पर दखल कब्जा है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल तथा दखल कब्जाधारी द्वारा दाखिल

पोषित कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है, गवाह में वरत लाल का नाम गवाह में अंकित है। अंचल अधिकारी, करपी ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि अन्नत गोप, पिता–शिव टहल गोप के नाम से खतियान दर्ज है। खाता नं0 30 खेसरा नं0 65 रकवा 08 डी0 किस्म भीठ दर्ज है, जो भूदाता से खतियान धारक का कोई संबंध नहीं है। रामकिशुन सिंह, पिता–अन्नत सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है जिसका जमावंदी संख्या 80/6 है। जमावंदी रैयत और भूदाता का कोई संबंध नहीं है। बलीराम सिंह वगैरह, पिता–स्व0 जंगी सिंह, ग्राम–बनिया विगहा वर्तमान में भूमि पर दखल कब्जा में है। भूमि कृषि योग्य है। कब्जाधारी बलीराम सिंह द्वारा लिखित आवेदन दिया है कि भूदान यज्ञ–दान पत्र में वर्णित भूमि से हमें कोई सरोकार नहीं है।

भूदान दान वितरण जॉच आयोग बिहार पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा एवं अंकित है उसमें संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

इस प्रकार भूदाता द्वारा या उनके तरफ से न्यायालय में अपना कोई पक्ष नही रखा गया है एवं वर्तमान कब्जाधारी ने भूमि पर कोई दावा नही किया है। इसलिए विषयगत भूमि को अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।